बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 8/कृ०नि०यो०वि०–25/2017– 5919 /कृ0, पटना, दिनांक – 7 – 12 – ,2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय : **राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम मद से 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम मद से 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आधुनिक कृषि में कृषि यंत्रों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग से लघु एवं सीमांत किसान ससमय शष्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेगें। कृषकों को धान, गेहूँ, दलहन, एवं तेलहन के उत्पादन दर में वृद्धि लाने हेतु यंत्रों पर अनुदान दिये जाने के फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आयेगी तथा उत्पाद का गुणवत्ता भी बढ़ेगा। राज्य में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए गुणवतायुक्त आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे कम्बाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा वेलर, पावर वीडर, लेजर लैण्ड लेवलर, जीरो टिलेज मशीन, पावर टीलर, रोटावेटर, रीपर कम बाईन्डर, मोबाईल सीड प्रोसेसिंग यूनिट, मिनी रबर राईस मिल इत्यादि के उपयोग से गुणात्मक रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है।

2. स्वीकृत राशि को जिलों के पंचायत की संख्या के आधार पर राशि का आवंटन किया जायेगा। राज्य स्तर से पम्पेसट का अनुदानित दर पर वितरण हेतु भौतिक लक्ष्य कुल 8000 एवं वित्तीय लक्ष्य कुल 868.00 लाख रूपये तथा एच0डी0पी0ई0 लेमीनेटेड वोभेन ले फ्लैट ट्यूब के लिए भौतिक लक्ष्य कुल 90,000 इकाई (100 मी०/इकाई) एवं वित्तीय लक्ष्य कुल 1800.00 लाख रूपये निर्धारित किया गया है। शेष 74 प्रकार के कृषि यंत्रों को मांग आधारित करते हुए अनुसूची–1 के कॉलम 9 एवं 10 के अनुसार कुल वित्तीय लक्ष्य 12877.00 लाख रूपये निर्धारित किये गये हैं।

- इस वित्तीय वर्ष में Performance Indicator में चार कृषि यंत्र क्रमशः स्ट्रा रीपर, पैडी ट्रांस प्लांटर, पावर टीलर एवं जीरोटिल/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील को रखा गया है।
- इस योजनान्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा यंत्रवार अनुदान दर विवरणी क्रमशः अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में सात कृषि यंत्रों यथाः–(I) थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर/पैडी थ्रेसर 5 BHP से नीचे इंजन/विधुत मोटर चालित एवं 35 BHP तक पावर टीलर/ट्रैक्टर चालित (II) थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर/पैडी थ्रेसर 5 BHP से उपर इंजन/विधुत मोटर चालित एवं 35 BHP से उपर ट्रैक्टर चालित (III) ब्रश कटर 3

BHP से कम (पेट्रोल चालित) (IV) ब्रश कटर 3–5 BHP तक (V) बायोएकॉस्टिक (बिना सोलर पैनेल के साथ) बिजली चालित जानवरों को भगाने वाला उपकरण (VI) बायोएकॉस्टिक (सोलर पैनेल के साथ) बिजली चालित जानवरों को भगाने वाला उपकरण (VII) सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर इत्यादि के अनुदान दर में परिवर्तन एवं राईस व्हीट सीडर नया यंत्र है जो SMAM योजना में शामिल नहीं है जिसे राज्य योजना में शामिल किये जाने का निर्णय विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटि की अनुशंसा एवं स्वीकृति के आलोक में लिया गया है। शेष कृषि यंत्रों में अनुदान वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्धारित दर के अनुसार है।

जिला स्तरीय दो दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला लगाने का दर 50,000 (पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर 1,00,000/–रूपये करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि प्रत्येक मेला की विडियोग्राफी एवं मेला में प्रखंडवार स्टॉल लगाना अनिवार्य होगा।

यूनिट कॉस्ट कमिटि की कार्यवाही से सम्बंधित अनुसूची–3 एवं संशोधित कार्यालय आदेश से संबंधित अनुसूची–4 संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंडिका (3) में उल्लेखित 8 कृषि यंत्रों का संशोधित स्वीकृत अनुदान दर निम्न प्रकार है :–

राशि रूपये में

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	गत वित्तीय वर्ष में लागू अनुदान दर		संशोधित अनुदान दर	
		सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति/जन जाति	समान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति/जन जाति
1.	थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर/पैडी थ्रेसर 5 BHP से नीचे इंजन/विधुत मोटर चालित एवं 35 BHP तक पावर टीलर/ट्रैक्टर चालित	50% अधिकतम 40,000 50% अधिकतम 30,000 (केवल पावर पैडी थ्रेसर के लिए)	50% अधिकतम 40,000 50% अधिकतम 45,000 (केवल पावर पैडी थ्रेसर के लिए)	40% अधिकतम 20,000	50% अधिकतम 25,000
2.	थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर/पैडी थ्रेसर 5 BHP से उपर इंजन/विधुत मोटर चालित एवं 35 BHP से उपर ट्रैक्टर चालित			40% अधिकतम 50,000	50% अधिकतम 63,000
3.	ब्रश कटर 3 BHP से कम (पेट्रोल चालित)	50% अधिकतम 7500.00	50% अधिकतम 10000.00	40% अधिकतम 10,000	50% अधिकतम 12500.00
4.	ब्रश कटर 3–5 BHP तक			40% अधिकतम 16,000	50% अधिकतम 20,000.00
5.	बायोएकॉस्टिक (बिना सोलर पैनेल के साथ) बिजली चालित जानवरों को भगाने वाला उपकरण	50% अधिकतम 15,000.00	50% अधिकतम 19,000.00	75% अधिकतम 38,000.00	80% अधिकतम 40,000.00
6.	बायोएकॉस्टिक (सोलर पैनेल के साथ) बिजली चालित जानवरों को भगाने वाला उपकरण	50% अधिकतम 20,000.00	50% अधिकतम 25,000.00	75% अधिकतम 45,000.00	80% अधिकतम 48,000.00
7.	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर इत्यादि	50% अधिकतम 40,000.00	50% अधिकतम 60,000.00	40% अधिकतम 50,000.00	50% अधिकतम 63,000.00
8.	राईस व्हीट सीडर (नया यंत्र)	–	–	50% अधिकतम 5,000.00	50% अधिकतम 6,000.00

उपरोक्त सारणी के क्रमांक–1 एवं 2 तथा क्रमांक–3 एवं 4 में अंकित यंत्रों को उसके शक्ति स्रोत/अश्व शक्ति के आधार पर दो श्रेणी में विभक्त किया गया है।

4. विभागीय राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की अनुशंसा के आलोक में डीजल चालित के अतिरिक्ति पेट्रोल चालित पम्पसेट एवं डिस्क प्लाउ को कृषि यांत्रिकरण योजना में शामिल किया गया है जिस पर माननीय मंत्री कृषि का अनुमोदन संयुक्त निदेशक (कृषि अभि0) के कार्यालय की संचिका संख्या 05/यो0/321/2017–18 के पृष्ठ 2/टि० से प्राप्त है।

5. वित्तीय वर्ष 2016–17 में ट्रैक्टर पर अनुदान का प्रावधान समाप्त, कर दिया गया था, परन्तु किसानों के बीच इसकी मांग को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारियों से प्राप्त सुझाव के उपरांत कार्यहित में वित्तीय वर्ष 2017–18 में ट्रैक्टर को अनुदानित कार्यक्रम में शामिल किया गया था, किन्तु वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अन्तर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान को कृषि विभागीय पत्रांक 6654 दिनांक 07.11.2017 द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भी लागू रहेगी।

6. दिनांक 05.02.2016 को आहुत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में फोल्डिग सिंचाई पाईप के सम्बंध में लिये गये निर्णय के आलोक में BIS/ISI द्वारा निर्धारित पारामीटर के अनुसार परिक्षित एवं प्रमाणित HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes के निर्माता द्वारा निर्मित पाईप को ही वित्तीय वर्ष 2016–17 से अनुदानित योजना में शामिल किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी जारी रखा जायेगा।

भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 1-6/2013-OS(TMOP),voll-II दिनांक 22.01.2016 द्वारा NMOOP योजनान्तर्गत सिंचाई पाईप के अनुदान दर में संशोधन किया गया है। पूर्व में HDPE सिंचाई पाईप पर अनुदान 25 रू0 प्रति मी0 की दर से 600 मीटर लम्बाई तक ही एक किसान को अधिकतम 15000 हजार रू0 मात्र अनुदान देने का प्रावधान था, लेकिन भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में HDPE सिंचाई पाईप का अनुदान दर 50/–रूपया प्रति मीटर एवं HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes पर 20/–रूपये प्रति मी0 का अनुदान दर निर्धारित किया गया है। यह संशोधित दर भारत सरकार द्वारा 01 अप्रील 2016 से लागू किया गया है। इसके लिए HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes के अधिकतम 100 मीटर का एक Unit होगा जिसपर लाभार्थी को अनुदान देय होगा। इस कार्यक्रम के तहत सिंचाई स्रोत से खेतो तक पानी ले जाने हेतु किसानों को अनुदानित दर पर वितरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त दर ही मान्य होंगे।

7. कृषि यांत्रिकरण योजना में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मेकेनाईजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन लेने, आवेदन का सत्यापन करने, किसानों को स्वीकृति पत्र निर्गत करने तथा अनुदान भुगतान की व्यवस्था वर्ष 2014–15 से प्रारंभ की गई है। मेकेनाईजेशन सॉफ्टवेयर को किसानो के हित में वर्ष 2018–19 में भी अपडेट करते हुए लागू किया जायेगा।

8. प्रत्येक पाँच वर्ष पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता का आकलन किसी स्वतंत्र एजेन्सी का चयन कर कराया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2015–16 में यांत्रिकरण मेला के अतिरिक्त मेला के बाहर भी कृषि यंत्रों का क्रय करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया था, जो वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी लागू रहेगा। अनुदानित योजना में शामिल होने के लिए कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षित/प्रमाणित एवं कृषि विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

इच्छुक कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कृषि विभाग के DBT Portal पर किसानों द्वारा निबंधन किया जायेगा। निबंधन के उपरांत किसान अपने आई0 डी० नं० के माध्यम से कृषि यंत्र क्रय करने हेतु कृषि विभाग के आनलाइन फार्म मेकेनाइजेन एग्रीकल्चर सॉफ्टवेयर (OFMAS) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदनों की जाँच कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जाँच की सारी प्रक्रिया अधिक–से–अधिक 15 दिनों में पूरी की जायेगी। अयोग्य आवेदनों को कारण सहित अस्वीकृत किया जायेगा। ऐसे सभी आवेदन, जो जाँच में अनुदान के लिए योग्य पाये जाते है, उन्हें ऑन लाईन सृजित स्वीकृति पत्र दिया जायेगा। किसानों को स्वीकृति पत्र में देय अनुदान दर की राशि अंकित रहेगी। 10 हजार रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों का स्वीकृति पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा, तथा 10 हजार एवं 10 हजार रूपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों का स्वीकृति पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। ऑन लाईन स्वीकृति पत्र प्राप्ति के उपरांत कृषि यांत्रिकरण मेला अथवा मेला के बाहर कृषक अपनी इच्छानुसार कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे। किसान द्वारा यंत्र क्रय करने के बाद अनुदान दावा किसान द्वारा स्वयं या संबंधित कृषि समन्वयक के माध्यम से जिला कृषि कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राप्त दावा पत्र के आलोक में यंत्रों का भौतिक सत्यापन 07 दिनों के अन्दर कराकर अनुदान की राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से 15 दिनों के अन्दर सम्बंधित किसान के बैंक खाते में RTGS/NEFT से अन्तरित किया जायेगा। सत्यापन करने वाले पदाधिकारी का एक संयुक्त फोटो लिया जायेगा जिसमें कृषक, कृषि यंत्र एवं सत्यापन करने वाले

पदाधिकारी शामिल होंगे, जिसे ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा। अनुदान भुगतान के पश्चात् जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यंत्रवार अनुदान राशि का विस्तृत ब्यौरा एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से आनलाइन फार्म मेकेनाइजेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (OFMAS) पर अपलोड किया जायेगा। मेला में अधिक से अधिक यंत्र निर्माताओं को आमंत्रित किया जायेगा ताकि कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी हासिल हो सके। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी /विक्रेता/ आपूर्तिकर्त्ता/ किसान के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लाभार्थी का चयन होगा, जिसका नियंत्रण सॉफ्टवेयर से होगा।

10. प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यक संशोधन एवं समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय अधि–सीमा में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में अन्तर परिवर्तन की जा सकेगी। किसानों के हित में कोई भी नये कृषि यंत्रों को कृषि विभागीय राज्य स्तरीय तकनीकी समिति एवं यूनिट कॉस्ट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में अनुदानित कार्यक्रम में शामिल किये जाने का अधिकार प्रशासी विभाग को होगा।

11. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से तथा राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार के आयोजन की राशि, प्रोग्रामर का मानदेय राशि एवं प्रशासनिक मद की राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा विकास भवन अवस्थित कोषागार से की जायेगी।

जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्व्यन के लिए पूर्णत जिम्मेवार होगें तथा योजना का सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार होगें।

12. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत व्यय उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भी उनके द्वारा भेजी जायेगी। साथ ही वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्यता होगी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

बजट उपबंध (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–113–कृषि इंजीनियरीं–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0105–प्रोमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन, विपत्र कोड–01–2401001130105, विषय शीर्ष 0105.33.01 सब्सिडी	13492.23	13280.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0120–प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन, विपत्र कोड–01–2401007890120, विषय शीर्ष 0120.33.01 सब्सिडी	2600.91	2560.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0143–प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन, विपत्र कोड–01–2401007960143, विषय शीर्ष 0143. 33.01 सब्सिडी	162.56	160.00
कुल	**16255.70**	**16000.00**

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 16.11.2018 की बैठक में संचिका संख्या–8/कृ०नि०यो०वि०–25/2017 के पृ0सं0–83/टि० पर प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि की स्वीकृति दिनांक–30.10.2018 को संचिका संख्या–8/कृ०नि०यो०वि०–25/2017के पृ0सं0–75/टि० पर प्राप्त है।

15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।